मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, फैक्स: 0755-2550498
वेबसाइट : www.esb.mp.gov.in

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025
विशेष शिक्षा (Special D.El.Ed.) डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी सूचना

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत दिनांक 09.10.2025 से 13.10.2025 तक **'प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025'** आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 के अनुसार, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का **5 प्रतिशत बोनस अंकों** के रूप में प्रदान करने एवं मेरिट के आधार पर चयनित होने पर उन्हें **'विशेष शिक्षक'** के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है ।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश (जबलपुर) में दायर याचिका क्रमांक 12970/2026 (सोनम अगरिया व अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन) में दिनांक 06.05.2026 को **निम्नलिखित** आदेश पारित किया गया है: -

> ***"(i) State Govt. is directed to send back the select list to M. P. Employees Selection Board.***
>
> ***(ii) M.P. Employees Selection Board shall consider the application form as submitted by a candidate up to the last date of submission of application form. Employees Selection Board shall check whether diploma recognized by RCI in Special D.El.Ed has been uploaded by candidate who has ticked `Yes'. If no such diploma is uploaded then application form of such candidates be rejected as per Clause 3.2 of Chapter III of Rule Book. After rejecting their forms and weeding out such candidates who have misrepresented before the Board, revised merit list be prepared and forwarded to State Govt. Said exercise be completed within a period of 3months."***

साथ ही इसी तारतम्य में दिनांक 14.05.2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आदेश पारित किया गया है :

23/6/26

"Considering the aforesaid submissions made by counsel appearing for the petitioners, it is found that concern of petitioners is genuine. Resultantly, direction no.2 in para 12 is further clarified that M.P. Employees Selection Board shall open a window for a period of 15 days during which candidates shall upload their RCI recognized Special D.El.Ed. diploma and there after M. P. Employees Selection Board shall complete its exercise as directed. Counsel appearing for the petitioners has further made a request that due to typographical error half incomplete line is typed in para 11 of the order dated 6.5.2026. Perused para-11 and found that half sentence of para-11 is of no consequences, therefore, same i.e. "If allowing ....to give" is directed to be deleted and shall not be read in order dated 6.5.2026. Order passed today shall be read along with order dated 6.5.2026.

उपरोक्त आदेशो के परिपालन में, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय कंडिका 7.7 के अंतर्गत **भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय 'विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा' (Special D.El.Ed.)** धारित होने का विकल्प में *"हाँ"* चुना था, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उक्त योग्यता के समर्थन में अपनी जानकारी और सुसंगत दस्तावेज़, मंडल की वेबसाइट www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से 24/06/2026 से 08/07/2026 तक निर्धारित पोर्टल शुक्ल सहित अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

यहाँ यह पुनः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रक्रिया केवल और केवल ***"ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय कंडिका 7.7 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय 'विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा' (Special D.El.Ed.) धारित होने का विकल्प में "हाँ" चुना था"*** के लिए है|

23/6/26

23/6/26

नियंत्रक
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
भोपाल